17.04.25

वकील प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थिया का मूल वाद इसी स्तर पर स्थापित किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर स्थापित किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.04.25

(किरण पाल)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना